

**कार्यालय****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक- 09/08/2021

**-कार्यालय ज्ञाप-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4078-KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY, VILL-RAJEPUR, POST-KAJGAON, JAUNPUR-222136**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमो/अधिनियमो/शासनादेशो/निर्देशो एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमो, विनियमो, आदेशो, निदेशो का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ पी0सी0आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तख्तनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कन्डिशनलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कन्डिशनलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनलग्न आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक फाँडे भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KUNWAR HARIBANSH SINGH COLLEGE OF PHARMACY, MEHRUPUR, JAUNPUR.

  
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मती काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रारोक्षित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ण से संवालिता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता पूर्ण सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संवालिता करने वाली पूर्ण से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया:-

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संवालिता करने वाली संस्थाएँ, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सामुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं सतम अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	कार	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	डीएल	सुपर डेवेलप काउन्सिल ऑफ फार्मसी, जोधपुर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	100	100	

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या ए०आई०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1987, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा दुबुद्ध निर्वाह समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वषीय इक्वीड पाठ्यक्रमों हेतु का 20,150.00/- प्रतिवर्ष दो वषीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु 20,85,000.00/- प्रतिवर्ष एक एक तथा दो वषीय पाठ्यक्रमों (दो वषीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 20-22,500

*(Handwritten Signature)*

00 प्रतिवर्ष सुलभ ही प्रवेश छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुलभ के सम्बन्ध में समय-समय पर सम्मेलन द्वारा निर्णय लिए जाने वाले शास्त्रादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता जायसक होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शीत की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थानों को सम्बद्ध किया जाना (विद्यमानावली-2020) की जाती का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीतों के स्थित रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय शास्त्रादेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता सुलभ बना करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/कॉन्ट्रैक्ट/प्रीवियूज/सेवेज के आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/विद्यार्थी/कृषिनिर्माण/शासनसेवा/निर्माण एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपाध्य द्वारा बनाये गये विद्यार्थी, प्रीवियूज, अर्बो, निदेशक का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन फार्मों पर परीक्षा की संख्या यदि प्रीवियूज/आई आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इन संस्था में उल्लेखित उल्लेखित संख्या का होगा और विहित रूप से विद्यार्थी की कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उत्तरवाही होगी। प्राथमिक शिक्षा समिति, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कॉन्ट्रैक्ट एवं अन्य किया जाता है (यह दायर वाद के संभव में था, आगामी वर्ष किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो शासन प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन फार्मों पर परीक्षा संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आगामी प्रवेश परीक्षा हेतु कॉन्ट्रैक्टिंग प्रारंभ होने के पूर्व प्रीवियूज/आई आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा क्योंकि उन्हें प्रवेश की (कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय स्वीकृत आगामी विद्यार्थी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की तनका सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रथमिणी, स्टाफ, सभा-संस्था, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, छात्रावास सुलभ आदि को विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अधिदेश हेतु उपयुक्त माध्यम उपलब्ध करने के साथ रेगिग लेखने के सम्बद्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में आगामी/संवर्धित परीक्षाओं को चलाने जाने हेतु निर्णय समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये आगामी भूमि-उपकरण, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परीक्षा के संवर्धन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को टाकी जानकारी होती है कि संस्था समर्थक का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उल्लेखित संस्था की सम्बद्धता समाप्त विद्यार्थी जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शीत का अनुपालन न करने करने अथवा शीत का उल्लंघन करने जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(श्री अशोक सिंह)  
सचिव

पूवसं- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

उद् दिनांक: 15-09-2020

प्रतिस्ति-प्रधानाचार्य/निदेशक, कुर्वा ऊर्जा कॉलेज ऑफ फार्मसी, जौनपुर।

(श्री अशोक सिंह)  
सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
सरदार भद्रेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 19-5-2019

- कार्यालय उत्तर -

उत्तम भारतीय कर्मचारी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2018-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तहसीबी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2018 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता प्रस्ताव प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 10-3-2019 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में एग्रीड कमेटी/समिति के द्वारा सत्र 2018-20 हेतु अनुमोदन नए संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता/परीक्षा समाप्त पूर्ति/रकम हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सत्र 2019-20 के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक 05-05-19 में विचारणा इन कार्यों पर विचारणा समाप्त करने के लिये पूर्ण से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण (जहाँ सम्बद्धता स्वीकृति द्वारा गठन किया-विस्तार/सत्र समाप्त) निर्णय लिया गया :-

संलग्नक-4 में अंकित ऐसी नवस्थापित विध्यालय इन फार्मों की संख्याएँ जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन प्रत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश को संघ में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, सत्र 20 सम्बद्धता द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं रकम अंकित प्रेषण किया हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	संस्था का पता	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया	परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया
1.	8070	कृ.र. अग्रणी कनिष्ठ शैली अमरेशी प्राथ- राजेपुर पो- कासबाग, नौनपुर 222138	दिल्ली रोड इन फार्मों	हां	हां

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सत्र 2018-20 हेतु निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः मान्य करनी।
- ✓ संस्था प्रमुख प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद (एन 1982) द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों 1982 का पूर्णतः निर्धारित किया एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा पूर्णतः निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत सत्र 2018-20 हेतु अनुमोदन प्रदान किया हेतु सत्र 2018-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित करनी।

